24/2018

07-09-22 पक्षकारान वकील उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सी.पी.सी. 151 पर बहस सुनी गई।

प्रार्थी वकील की बहस है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 77/1 रकबा 11.11 बीघा ग्राम निम्बली तहसील सिणधरी में आया हुआ है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा अपने रहवास हेतु ढाणी, पानी का टांका व पशुओं का बाड़ा इत्यादि बने हुए है। प्रार्थीगण की जोत पर आने–जाने हेतु रास्ता विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 78 रकबा 11.05 बीघा में से होकर सरकारी रोड़ तक आने जाने का एकमात्र रास्ता है। इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। विप्रार्थीगण बरसात व काश्त के समय चारों ओर बाड़ कर देते है, जिससे प्रार्थीगण को आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिति में प्राप्त मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए रास्ता दिलवाया जावे।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी की बहस है कि प्रकरण मे वर्णित तथ्यों में जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है वह स्थान पर विप्रार्थीगण की ढाणियां व चारबाड़ा है तथा प्रार्थीगण का मूल खसरा नम्बर 77 के विभाजन से नवसृजित खसरा नम्बर 77/1 रकबा 11.11 बीघा मौजा निम्बली के संबंध में प्रस्तुत किया है जिसमें हमारा हक प्रत्यक्ष रूप से है। पूर्व में सहखातेदारों के मध्य हुए समझोता बटवाड़े में कपटपूर्वक विभाजन की जानकारी प्राप्त होने पर हमारे द्वारा विभाजन की अपील सं. 10/2018 दिनांक 22.01.2018 को माननीय न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर में पेश की जिसका निर्णय दिनांक 04.02.2021 के जरिये तहसीलदार सिणधरी द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 27.06.2015 के भाग खसरा नम्बर 77 के प्रस्तावित तरमीम नक्शा को अपास्त करते हुए पत्रावली रिमांड करते हुए निर्देशित किया गया कि मोका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए नये रिसे से विभाजन नक्शा स्वीकृत कर तरमीम का अंकन करने की कार्यवाही की जावे। उक्त आदेश से रूष्ट होकर प्रार्थीगण रतनाराम व अन्य द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी टी.ए. सं. 1574/2021 दायर की जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में जब तक की उक्त निगरानी का विधिवत निर्णय नहीं हो तक तब उक्त आवेदन की कार्यवाही को स्थगित रखा जाये अथवा खारिज किया जावे।

हमनें दोनों पक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 77/1 रकबा 11.11 बीघा ग्राम निम्बली तहसील सिणधरी के आवागमन हेतु रास्ते की मांग करते हुए यह आवेदन प्रस्तुत किया है, उक्त खातेदारी खेत 77/1 के मूल खसरा नम्बर 77 को लेकर अन्य खातेदारान द्वारा माननीय न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर में प्रस्तुत अपील के जरिये खसरा नम्बर 77 एवं उससे विभक्त होकर कायम हुए खसरा नम्बर के संबंध में पत्रावली रिमांड के आदेश जारी किये जाने पर प्रार्थीगण रतना व अन्य द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी टी.ए. सं. 1574/2021 दायर की जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया न्यायालय को इस बात की संतुष्टि है कि पक्षकारान के मध्य विवाद का मूल कारण खसरा नम्बर 77 से विभक्त हुए नये खसरा नम्बर का [illegible] प्रार्थीगण अपने हक हिस्सेनुसार खसरा नम्बर 77/1 में आवागमन हेतु रास्ते की इस्तदुआ चाहते है, परन्तु यदि निगरानी दायर किये जाने के दौरान यदि प्राप्त मौका रिपोर्ट पर कोई निर्णय पारित किया जाता है तथा निगरानी के निर्णय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

मौका पस्थितियों में कोई भिन्नता प्रकट होती है तो उेसी स्थिति में पक्षकारान के मध्य अनावश्यक कानूनी पैचिदगियां बढ़ जायेगी तथा विवाद के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब की प्रबल सभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त आवेदन के अग्रिम कार्यवाही को स्थगित रखा जाना न्यायिक दृष्टिकोण से अति आवश्यक है।

लिहाजा उपरोक्त स्थिति को मददेनजर रखते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन निगरानी के निर्णयाधीन रखते हुए खारिज किया जाकर पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि विचाराधीन निगरानी के निर्णय के अनुसरण में यदि वर्तमान रेकर्ड, मौका एवं कब्जा स्थिति में कोई भिन्नता उत्पन्न नहीं होती हो तो इसी आवेदन को पुनः बराबरी करवाते हुए इस्तदुआ के अनुरूप आगामी आवश्यक कार्यवाही करवाने के लिए स्वतन्त्र है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:56 IST
Reason: SelfAttested